Schedule XLII – High Court(J) 9a [Old(M) 164.]

In the Court of C.J.M. at, Chaibas

Serial No.	Date of order of proceeding	**Complaint Case no-415/2022** Order with the signature of the Court.	Office notice taken with date
1	2	3	4
	21.03.2023	अभियुक्त Pankaj Tiwari द्वारा इस वाद को स्वेच्छा से दोष स्वीकार किये जाने हेतु आवेदन अभियोजन को प्रति देते हुए प्रविष्ट किया गया है। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुए। आवेदन को प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त प्रस्तुत मामले में अपना अपराध कबूल करना चाहते है। अतः न्यायोचित अर्थ–दण्ड निर्धारित करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया जाये। विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा सहमति जतायी गयी, तद्नुसार आवेदक/ अभियुक्त Pankaj Tiwari का 313 दं. प्र. सं. बयान दर्ज किया गया, व उन्होंने अपना दोष स्वेच्छा से स्वीकार किया। अभियुक्त द्वारा कम से कम अर्थ दंड देकर मुक्त करने की याचना किया गया। अतः न्यायहित में कथित अभियोग की धारा 29 of the Payment of Bonus Act, 1965 and payment of Bonus(Central) rules 1975 के अन्तर्गत 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) का अर्थ दंड अदा करने का आदेश दिया गया एवं अर्थ दण्ड की राशि न अदा किये जाने की स्थिति में एक सप्ताह की साधारण कारावास की सजा भुगतने की आदेश दिया जाता है। लेखापित मु0 न्य0 दण्डा	
	<u>21-03-2023</u> पश्चात	उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त Pankaj Tiwari द्वारा नाजीर रसीद संख्या 1686398 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा अर्थदंड़ की राशि 1000/–रूपये जमा कराया गया। कार्यालय दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध यदि कोई जमानतीय या अजामनतीय अधिपत्र निर्गत हुआ हो तो तत्काल संबंधित थाना को बिना तामिला के वापस करने का पत्र निर्गत करें। कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार अविलम्ब जमा करें। लेखापित मुख्य न्यायिक दंड़ाधिकारी I.D. No-JH00547	

Schedule XLII – High Court(J) 9a [Old(M) 164.]

In the Court of C.J.M. at, Chaibas

Serial No.	Date of order of proceeding	**Complaint Case no-415/2022** Order with the signature of the Court.	Office notice taken with date
1	2	3	4